न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 167/2018

सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

– – वादी

–:: बनाम ::–

जय हनुमान ईट भट्टा उद्योग गंगानगर तह0 व जिला श्रीगंगानगर।

श्री जगदम्बा धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट, हनुमानगढ रोड नजदीक चहल चौक श्रीगंगानगर, जरिए स्वामी ब्रह्मदेव कार्यवाही प्रन्यासी

– – प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– पैरोकार राज (वादी)
अधिवक्ता श्रीऋषिपाल जोशी (प्रतिवादी)

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 12.04.2021

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 6 ई छोटी के खाता संख्या 26/28 के मु.नं. 18 किला नं. 21/2=0.202,22/0.227, 23/0.227 कुल 0.656 है, मु० न0 29 के किला न0 1/0.253, 2/0.228, 3/1=0.063, 8/2=0.063, 9 ता 12/1.012,19/0.253, 20/0.253, 21/1=0.190, 22/1=0.202 कुल 2.517 हैक्नहरी रकबा पर आवासीय कलोनी बसी हुई है। इस प्रकार यथाकुल 3.173 हैक. नहरी प्रतिवादी के नाम कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार है(जंमाबन्दी की प्रति संलग्न है)। उक्त खातेदारी चक 6 ई छोटी के खाता सख्या 26/28 के मु.नं. 18 किला नं. 21/2=0.202, 22/0.227,23/0.227 कुल 0.656 हैक. नहरी, मु०न० 29 के किला न0 1/0.253, 2/0.228, 3/1=0.063, 8/2=0.063, 9 ता 12/1.012, 19/0.253, 20/0.253, 21/1=0.190, 22/1=0.202 कुल 2.517 हैक. नहरी रकबा का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सडकें, आवासीय मकान/ पार्क आदि में अकृषि कार्य में किया जा रहा है। उक्त अराजी काबिले–काश्त है केवल मात्र कृषि कार्य के लिए दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी से संपरिर्वन कराये/स्वीकृति प्राप्त किये अकृषि कार्य में उपयोग की जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि कार्य में उपयोग लेना गैर कानूनी है। चक 6 ई छोटी के खाता सख्या 26/28 के मु.नं. 18 किला नं. 21/2=0.202,22/0.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

227,23/0.227 कुल 0.656 हैक. नहरी, मु0 न0 29 के किला न0 1/0.253, 2/0.228, 3/0.063, 8/2=0.063, 9 ता 12/1.012, 19/0.253, 20/0.253, 21/1=0.190, 22/1=0.202 कुल 2.517 हैक. नहरी रकबा मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हलका 4 एम एल के अनुसार बिना स्वीकृति/संपरिर्वतन कराये अकृषि उपयोग मे किया जा रहा है रिपोर्ट पटवारी हलका संलग्न है। दावा राज हित मे है इसलिए कोर्टफीस देय नही है। रकबा राजहित मे सिवाय चक घोषित किया जावे। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस सूचित किया गया। प्रतिवादी द्वारा दिनांक 16.03.2021 को जवाब वाद पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें वर्णित तथ्यानुसार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर बिना कोई जांच पडताल किए चक 6 ई छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 18 की 0.656 है. व मुरब्बा नम्बर 29 की 2.517 है. कुल 3.173 है. कृषि भूमि पर जय हनुमान ईंट उद्योग का कब्जा होना बताकर जय हनुमान ईट उद्योग को पक्षकार बनाकर पेश किया गया है जबकि जय हनुमान ईंट उद्योग उक्त भूमि पर किसी प्रकार से संलिक नहीं है, प्रार्थना पत्र में वर्णित चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 की कुल 2.517 भूमि को नियमानुसार रूपान्तरित की जाकर श्री जगदम्बा धर्मार्थ एवं पूण्यार्थ ट्रस्ट की है इसलिए मुरब्बा नम्बर 29 की 2.517 है. भूमि तक धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रारम्भतः ही काबिले निरस्ती है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना मिथ्या व आधारहीन पटवारी हल्का चक 4 एमएल की रिपोर्ट के आधार पर पेश किया गया है उक्त रिपोर्ट एकतरफा तौर पर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये, मौका निरीक्षण किए बिना, अनुमानित तौर पर दफ्तर में बैठकर तैयार कर पेश की गई है जो काबिले निरस्ती है। मौका की हककीत रिपोर्ट से पूर्णतः अलग है। मुरब्बा नम्बर 29 की प्रार्थना पत्र में वर्णित 2.517 है. रकबा पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो से प्रार्थना पत्र कवर नहीं होता है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। स्टेट द्वारा बिना किसी वाद कारण के कारण विधि विरूद्ध तरीके से निराधार धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया है। स्टेट को कोई वाद कारण उपलब्ध नहीं है इस आधार पर भी प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का मदवार जवाब निम्न प्रकार है :–

(1). यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित तथ्य जिस प्रकार से दर्ज किए गए है कि चक 6 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 26/28 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21/2 (0.202 है.), 22 (0.227 है.), 23 (0.227 है.) कुल 0.656 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 10.253 है.), 2(0.228 है.), 3/1(0.063 है.), 8/2(0.063 है.), 9 ता 12 (1.012 है.), 19 (0.253 है.), 2010.253 है.), 21/1(0.190 है.),

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

22/1(0.202 है.) कुल 2.517 है. नहरी कृषि भूमि रकबा पर आवासीय कॉलोनी वसी हुई है के तथ्य मिथ्या व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है। मुरब्बा नम्बर 18 की भूमि से जगदम्बा धर्मार्थ एवं पूण्यार्थ ट्रस्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, उक्त प्रार्थना पत्र वर्णित मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 2(0.228 है.), 3/1(0.063 है.), 8/2(0.063 है.), 9 ता 12 (1.012 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.190 है.), 22/1(0.202 है.) कुल 2.517 है. कृषि भूमि निम्न वर्णित अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 व 2 की 1379 वर्गगज भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जिसका पट्टा संख्या 383 दिनांक 26/10/1988 जारी किया हुआ है (संलग्न–1) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 2, 3, 8, 9 की भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जो नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के कार्यालय द्वारा जारी पत्र पट्टा नम्बर 391 दिनांक 26/10/1988 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तिरित है। (संलग्न–2) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 10 की भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जो नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के कार्यालय द्वारा जारी पत्र पट्टा नम्बर 385 दिनांक 26/10/1988 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तिरित है जिसे श्री जगदम्बा धमार्थ एवं पूण्यार्थ ट्रस्ट द्वारा विभिन्न भाग के रूप में खरीद की हुई है। चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 व 10 की 1500 वर्गगज भमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जो विकास न्यास, श्रीगंगानगर के कार्यालय द्वारा जारी पत्र पट्टा नम्बर 392 दिनांक 26/10/1988 द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तिरित है (संलग्नक 3) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 11, 19 व 20 की 1385 वर्ग प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित के संख्या 345 दिनांक 01/04/1988 जारी किया हुआ है (संलग्न–4), चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 11 व 20 प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर संख्या 387 दिनांक 26/10/1988 जारी किया हुआ है (संलग्न–5) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 12 व 19 की 695 वर्गगज भूमि श्रीमान उप जिलाधीश, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जिसका पट्टा दिनांक 01/04/1988 को जारी किया हुआ है (संलग्न–6) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 11 व 12 की 975 वर्गगज भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जिसका पट्टा संख्या 393 दिनांक 26/10/1988 जारी किया हुआ है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

(संलग्न–7) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 11 व 12 की 1500 वर्गगज भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जिसका पट्टा संख्या 389 दिनांक 26/10/1988 जारी किया हुआ है (संलग्न–8) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 19 व 20 की 1556.60 वर्गगज भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जिसका पट्टा संख्या 395 दिनांक 26/10/1988 जारी किया हुआ है। चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 11, 19 व 20 की 1385 वर्गगज भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जिसका पट्टा संख्या 395 दिनांक 01/04/1988 जारी किया हुआ है (संलग्नक–9) चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 20 व 21 की 1099 वर्गगज भूमि श्रीमान प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), कृषि भूमि रूपान्तरण, श्रीगंगानगर से रूपान्तरित है जिसका पट्टा संख्या 394 दिनांक 26/10/1988 जारी किया हुआ है (संलग्न–10), उक्त भाग नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के कार्यालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक SGNRIFY/20-21/MUT/1 Date 15-05-2020 के अनुसार SHRI JAGDAMBA DHARMAARTH AVAM PUNYARTH TRUST के नाम न्यास रिकार्ड में दर्ज है (संलग्न–11) उक्त मद में वर्णित मुरब्बा नम्बर 29 में वर्णित भूमि कृषि भूमि नहीं है बल्कि विधिवत रूप से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तिरत है जिसका उपयोग आवासीय करने में किसी प्रकार की कोई कोई विधिक बाधा नहीं है इसलिए मुरब्बा नम्बर 29 की भूमि की हद तक धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। चक 6 ई छोटी तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 26/28 के मुरब्बा नम्बर 18 के किला नम्बर 21 /2(0.202 है।) 22/0.227 है., 23 (0.227 है.) कुल 0.656 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1(0.253 है.),2(0.228 है.), 3/1(0.063 है.), 8/2(0.063 है.), 9 ता 12 (1.012 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.190 है.), 22/1(0.202 है.) कुल 2.517 है. नहरी रकबा का उपयोग कृषि कार्य में न होकर मौके पर सड़क, आवासीय मकान, पार्क आदि कार्य में प्रयोग की जा रही है के तथ्य जिस प्ररिप्रेक्ष्य के अनुसार वर्णित किए गए मिथ्या व मनगढ़त है । मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1(0.253 है.), 2(0.228 है.), 3/10.063 है.), 8/2(0.063 है.). 9 ता 12 (1.012 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.190 है.), 22/1(0.202 है.) कुल 2.517 है. रकबा को सक्षम अधिकारी से संपरिवर्तन करवाकर ही अकृषि कार्य में उपयोग की जा रही है । . (3). यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य मिथ्या व मनगढ़त होने के कारण अस्वीकार है, मुरब्बा नम्बर 18 की कृषि भूमि से मन उतरदाता का कोई सम्बन्ध नहीं है, मुरब्बा नम्बर 29 की उक्त मद में वर्णित भूमि को सक्षम अधिकारी से सपरिवर्तन करवाकर ही उक्त भूमि को अकृषि कार्यों में प्रयोग में ली जा रही है। यह कथन भी यहां निवेदन किया जाना आवश्यक है

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कि श्री जगदम्बा धमार्थ एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अधीन सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर से रजिस्टर्ड प्रन्यास है जो धमार्थ एवं पुण्यार्थ के कार्य करता है, अन्ध व्यक्तियो एवं मुक बधिरो के लिए उक्त ट्रस्ट बीकानेर सम्भाग का सबसे अच्छा एवं मान्य ट्रस्ट है उक्त ट्रस्ट के कार्यो से सन्तुष्ट होकर दानदाताओ, सामाजिक कार्यकर्ता एवं सरकार द्वारा भी समय समय पर प्रशंसित किया जाता रहा है, इस प्रकार धमार्थ एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट का उद्देश्य कभी भी विधि विरुद्ध कार्य करने का नहीं रहा है। ट्रस्ट का प्रमाण पत्र संलग्क –12 है। प्रार्थना पत्र में वर्णित चक 6 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 29 की भूमि अर्सा करीब 30–35 वर्षों से अधिक समय से अकृषि कार्यो हेतू विधिवत रूप से रूपान्तरित करवाई हुई है तथा 30–35 वर्षों से आबादी के रूप दर्ज है तथा ले आउट प्लान में भी आबादी के रूप में दर्ज है । ले आउट प्लान में भी आबादी विकास हेतू उक्त भूमि आबादी भूमि दर्शायी हुई है तथा राजस्व लगान कायम नहीं है इसलिए धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही काबिले निरस्ती है। टाऊन प्लानिंग विभाग का नक्शा संलग्क –13 है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 वर्णित तथ्य मिथ्या व मनगढ़त है पटवारी हल्का 4 एमएल द्वारा अपनी रिपोर्ट के कथनानुसार चक 6 ई छोटी के खाता संख्या है। नम्बर 21/2 (0.202 है.), 22 (0.227 है.), 23 (0.227 है.) कुल 0.656 है. नहरी व मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 (0.253 है.), 2(0.228 है.), 3/1 (0.063 है.), 8/2(0.063 है.), 9 ता 12 (1.012 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.190 है.), 22/1(0.202 है.) कुल 2.517 है. नहरी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का 4 एम एल के अनुसार बिना स्वीकृति/संपरिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है के कथन कोई सत्य नहीं है। मुरब्बा नम्बर 18 की भूमि का मन उतरदाता से कोई सम्बन्ध नहीं है मुरब्बा नम्बर 29 की भूमि जैसा कि ऊपर की मदो में वर्णित किया गया कि विधिवत रूप से सपरिवर्तन करवाई जाकर ही अकृषि प्रयोग में ली गई है ।उक्त रिपोर्ट एकतरफा तौर पर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये, मौका निरीक्षण किए बिना अनुमानित तौर पर दफ्तर में बैठकर तैयार कर पेश की गई है जो काबिले निरस्ती है। मौका की हककीत रिपोर्ट से पूर्णतः अलग है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधि. के प्रावधानो से प्रार्थना पत्र कवर नहीं होता है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले निरस्ती है। प्रार्थना पत्र विधि की दृ ष्टि में प्रारम्भ ही शुन्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में वर्णित अनुतोष प्रदान किया जाना विधि विरूद्ध है, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य मिथ्या व आधारहीन है तथा समस्त तथ्य एवं रिपोर्ट पटवारी आधारहीन है उक्त वस्तुस्थिती के अनुसार चक 6 ई छोटी के खाता संख्या 26/28 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 (0.253 है.), 2(0.228 है.), 3/1 (0.063 है.), 8/2(0.063 है.), 9 ता 12 (1.012 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.190 है.), 22/1(0.202 है.) कुल 2.517 है. सपरिवर्तित भूमि श्री जगदम्बा धमार्थ एवं पुण्यार्थ ट्रस्ट, श्रीगंगानगर की है जो कि राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के अधीन

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, बीकानेर सम्भाग, बीकानेर से रजिस्टर्ड प्रन्यास है जो धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ कार्य करता है, यदि उक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया गया तो ट्रस्ट के सवैधानिक अधिकारो पर विपरीत असर पड़ेगा तथा ट्रस्ट के धर्मार्थ एवं पुण्यार्थ किए जा रहे कार्य भी प्रभावित होगे। प्रार्थना पत्र की कार्यवाही एकतरफा तौर पर बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए की गई है तथा विधिवत रूप से संपरिवर्तित हुई भूमि के तथ्यो को भी नजर अदांज किया गया है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र की कार्यवाही काबिले निरस्ती है। यदि मिथ्या व आधारहीन तथ्यो पर विधि विरूद्ध तरीके से श्री जगदम्बा धर्मार्थ एवं पूण्यार्थ ट्रस्ट की सपरिवर्तित भूमि पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की कार्यवाही की गई तो ट्रस्ट के हक व हितो पर विपरीत असर पड़ेगा तथा वाद बाहूल्य भी बढ़ेगा तथा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा । धारा 177 राज. काश्तकारी अनियम के तहत प्रार्थना पत्र मिथ्या व आधारहीन तथ्यों पर होने के कारण प्रार्थना पत्र की कार्यवाही निरस्त किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि जवाब स्वीकार किया जाकर स्टेट द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया प्रार्थना पत्र चक 6 ई छोटी के खाता संख्या 26/28 के गुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 1 (0.253 है.), 2(0.228 है.), 3/1 (0.063 है.), 8/2(0.063 है.). 9 ता 12 (1.012 है.), 19 (0.253 है.), 20(0.253 है.), 21/1(0.190 है.), 22/1(0.202 है.) कुल 2.517 है. की हद तक खारिज फरमाया जावे।

वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विवाद के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये–

1–आया वादग्रस्त आराजी चक 6 ई छोटी के खाता संख्या 26/28 के मर 18 किला नं. 21/2=0.202, 22/0.227, 23/0.227, कुल 0.656 हैक नहरी मरबा नम्बर 29 के किला नं. 1/0.253, 2/0.228, 3/1=0.063, 9 ता 12/1.012, 19/0.253, 20/0.253, 21/1=0.190, 22/1=0.202 कुल 2. 517 हैक. नहरी कृषि भूमि है एवम् प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना रूपान्तरित करवाए अकृषि कार्य किया जा रहा है?

–वादी

2–आया प्रश्नगत आराजी कृषि भूमि नहीं है, स्टेट द्वारा प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। अतः खारिज योगय है ?

– प्रतिवादी

3–आया प्रश्नगत आराजी रूपान्तरित भूमि है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, अतः खारिज योग्य है ?

– प्रतिवादी

4–अन्य

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में तहसीलदार राजस्व श्रीगंगानगर द्वारा साक्ष्य वादी प्रस्तुत की गई। साक्ष्य वादी में और साक्ष्य पेश नहीं करने पर बंद की गई। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी में स्वामी ब्रह्मदेव का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य प्रतिवादी में और गवाह पेश नहीं करना चाहा। साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विरचित किये गये तनकी पर न्यायालय का निर्णय निम्नानुसार है:–

1–आया वादग्रस्त आराजी चक 6 ई छोटी के खाता संख्या 26/28 के मर 18 किला नं. 21/2=0.202, 22/0.227, 23/0.227, कुल 0.656 हैक नहरी मरबा नम्बर 29 के किला नं. 1/0.253, 2/0.228, 3/1=0.063, 9 ता 12/1.012, 19/0.253, 20/0.253, 21/1=0.190, 22/1=0.202 कुल 2. 517 हैक. नहरी कृषि भूमि है एवम् प्रतिवादीगण द्वारा कृषि भूमि को बिना रूपान्तरित करवाए अकृषि कार्य किया जा रहा है?

–वादी

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी चक 6 ई छोटी सम्वर्त 2068–2071 के खाता संख्या 26/28 में मय हनुमान ईंट उद्योग गंगानगर के नाम से मुरबा नम्बर 18 एवं मुरबा नम्बर 29 की कुल 3.173 हैक्ट आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जय हनुमान ईंट भट्टा उद्योग को नोटि की तामील में दर्ज तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट में प्रश्नगत आराजी पर नगर न्यास विकास द्वारा पट्टे जारी करना एवं मौका पर ईंट भट्टा का न होने की रिपोर्ट की गई है। जवाब प्रतिवादी एवं पत्रावली पर उपलब्ध पट्टा अभिलेखों की प्रतियों से प्रश्नगत आराजी मुरबा नम्बर 29 की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण होना प्रकट होता है। राज पैरोकार द्वारा अपनी बहस में भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है। प्रश्नगत भूमि में से मुरबा नम्बर 29 की भूमि अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि होना प्रकट होता है। इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था परन्तु वादी द्वारा इसे साबित नहीं किया जा सका। अतः तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2–आया प्रश्नगत आराजी कृषि भूमि नहीं है, स्टेट द्वारा प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है। अतः खारिज योगय है ?

– प्रतिवादी

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पट्टा संख्या 383 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 391 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 385 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 392 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 345 दिनांक 01.04.88, पट्टा संख्या 387 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 393 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 389 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 395 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 394 दिनांक 26.10.88 की प्रतियों के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व

Scanned with CamScanner

ब्लाक 6 ई छोटी के मुरबा नम्बर 29 की प्रश्नगत आराजी गैर कृषि प्रयोजनार्थ (आवासीय) रूपान्तरित है। यह आराजी कृषि भूमि नहीं है। इस रूपान्तरित आदेशों का जमाबंदी में इन्द्राज नहीं हुआ। राज पैरोकार द्वारा इन पट्टो को अस्वीकार नहीं किया गया है न ही इनकी वैधता पर प्रश्न किया है। अतः प्रश्नगत आराजी में से मुरबा नम्बर 29 की भूमि कृषि भूमि नहीं है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था जिसे साबित करने में वह सफल रहा। अतः तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

3–आया प्रश्नगत आराजी रूपान्तरित भूमि है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत रूप से प्रस्तुत किया गया है, अतः खारिज योग्य है ?

– प्रतिवादी

तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत पट्टा विलेख पट्टा संख्या 383 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 391 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 385 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 392 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 345 दिनांक 01.04.88, पट्टा संख्या 387 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 393 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 389 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 395 दिनांक 26.10.88, पट्टा संख्या 394 दिनांक 26.10.88 के अवलोकन से प्रश्नगत आराजी मुरबा नम्बर 29 की भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होना प्रकट होता है। प्राधिकृत अधिकारी कृषि भूमि रूपान्तरण श्रीगंगानगर एवं नगर विकास न्यास द्वारा जारी पट्टा विलेख के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि के मुरबा नम्बर 29 के अलग अलग किले सन् 1988 में ही आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित किये जा चुके थे। जबकि वाद हाजा सन् 2018 में संस्थित किया गया। अतः इससे यह प्रकट होता है कि स्टेट द्वारा तथ्यों की अधूरी जानकारी होने के कारण यह वाद संस्थित किया गया है। अतः रूपान्तरित भूमि की हद तक वाद खारिज योग्य है। इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। जिसे प्रतिवादी साबित करने में सफल रहे। अतः तनकी संख्या 3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकीवार विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राज. काश्तकारी अधिनियम मुरबा नम्बर 29 की हद तक खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner